भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5906
(जिसका उत्तर गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

कंपनी सचिव

5906 श्री पी. आर. नटराजन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचीबद्ध/असूचीबद्ध/मध्यम और लघु उद्यमों में कंपनी सचिव रखने के संबंध में कंपनी विधेयक में कोई अनिवार्य प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में कंपनी सचिवों की अनुमानित मांग के बारे में कोई मूल्यांकन कराया है; और
(घ) यदि हां, तो देश में उपलब्ध कंपनी सचिवों की वास्तविक संख्या क्या है तथा भविष्य में इसकी अनुमानित मांग कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : लोक सभा द्वारा यथापारित कंपनी विधेयक, 2012 में अन्य के साथ-साथ 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)' की नियुक्ति के बारे में प्रावधान (खंड 203) शामिल है जिसमें उल्लेख है कि यथा निर्दिष्ट श्रेणी या श्रेणियों से संबंधित प्रत्येक कंपनी के पास पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में एक कंपनी सचिव होगा।

(ग) और (घ) : भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उक्त संस्थान की सूची में 28,719 सदस्य हैं। इसके अलावा, 31.03.2013 की स्थिति के

अनुसार 48,697 व्यक्ति व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उक्त संख्या से वर्तमान और उभरती मांग पूरी होने की संभावना है।

*****